

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग,

क्रमांक प. 10(117)नविवि / 3 / 2010

जयपुर दिनांक 16.07.2010

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन् 1959) की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार एतद द्वारा वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर जोन बीकानेर को रावतसर (जिला हनुमानगढ़) के नगरीय क्षेत्र जिसमें निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित किये जाते हैं, का सिविक सर्वे करने एवं क्षितिज वर्ष 2031 तक के लिये मास्टर प्लान बनाने हेतु नियुक्त करती है:-

राजस्व ग्राम का नाम		
क्र.सं.	ENGLISH	हिन्दी
1	5 KWD	5 केडब्ल्यूडी
2	3 RWM	3 आरडब्ल्यूएम
3	7 KWD	7 केडब्ल्यूडी
4	4 KWD	4 केडब्ल्यूडी
5	6 KWD	6 केडब्ल्यूडी
6	8 KWD	8 केडब्ल्यूडी
7	9 KWD	9 केडब्ल्यूडी
8	6 AM	6 एएम
9	9 AM	9 एएम
10	8 AM	8 एएम
11	10 AM	10 एएम
12	11 AM	11 एएम
13	3 RWSM	3 आरडब्ल्यूएसएम
14	15 DWD	15 डीडब्ल्यूडी
15	16 DWD	16 डीडब्ल्यूडी
16	17 DWD	17 डीडब्ल्यूडी
17	19 DWD	19 डीडब्ल्यूडी
18	5 RWM	5 आरडब्ल्यूएम
19	6 RWM	6 आरडब्ल्यूएम
20	21 22 DWD	21–22 डीडब्ल्यूडी
21	23 DWD	23 डीडब्ल्यूडी

22	26 DWD	26 डीडब्ल्यूडी
23	25 DWD	25 डीडब्ल्यूडी
24	24 DWD	24 डीडब्ल्यूडी
25	18 DWD	18 डीडब्ल्यूडी
26	2 APM	2 एपीएम
27	1 APM	1 एपीएम

राज्यपाल के आदेश से

(पुरुषोत्तम वियाणी)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र के असाधारण अंक मे करवाकर एक प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करे।
2. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान) राजस्थान, जयपुर।
5. वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर जोन, बीकानेर।
6. जिला कलेक्टर, हनुमानगढ़।
7. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, रावतसर।
8. रक्षित पत्रावली।

(प्रदीप कपूर)
उप नगर नियोजक